

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक: प.14(81)(1)RSSB/अर्थना/कनि.अभि./पात्रता जांच/2021/683

दिनांक: 7.7.2021

—:: कार्यालय आदेश ::—

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम-1967 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2014 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) (डिग्रीधारक) के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 14 पदों पर तथा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) (डिप्लोमाधारक) के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 27 व अनुसूचित क्षेत्र के 3 कुल 30 पदों पर भर्ती हेतु विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 दिनांक 03.03.2020 जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) (डिग्रीधारक) के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 26.12.2020 (प्रथम पारी) को तथा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) (डिप्लोमाधारक) के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 26.12.2020 (द्वितीय पारी) को आयोजित करवाई गई थी। बोर्ड द्वारा दिनांक 16.06.2021 को परीक्षा परिणाम जारी कर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिये सूचीबद्ध किया गया है। इन अस्थायी (Provisional) रूप से सफल घोषित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन करवाये जाने हेतु सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14.07.2021 व 15.07.2021 को कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), 2, सिविल लाईन, जल भवन, जैकब रोड, जयपुर- 302006 पर निर्धारित समय एवं स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे :-


पद का नाम	अभ्यर्थियों के रोल नम्बर	दिनांक एवं समय
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) (डिप्लोमा)	(NTSP) 800048 800387 800388 800397 800598 800654 800932 800948 801016 801253 801363 801641 801820 801948 802193 802332 802359 802710 803136 803138 803139 803230 803234 803330 803448***	14.07.2021 10.00 AM
	803457 803475 803590 803599 804052 804188 804475 804539 804887 804951 805189 805615 805623 805676 805733 805902 805921 806044 806160 806166 ***	14.07.2021 2.00 PM
	(TSP) 800985 801640 802668 803642 804023***	
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) (डिग्री)	(NTSP) 700131 700405 700672 700959 701346 701865 702176 702252 702787 703247 704040 704852 704933 705321 705333 705632 706176 706549 706999 707170 707187 707975 708007***	15.07.2021 10.00 AM

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे :-

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर “अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश” एवं कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 के लिये दिनांक 03.03.2020 को जारी विज्ञापन संख्या 01/2020 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।
2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग-अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।
4. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा करवाये है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर आवें।
7. कोरोना (COVID-19) महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना (COVID-19) जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित होवे।


(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष